(वाद संख्या 60/2020 धर्मपाल बनाम सोहनलाल आदि)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 60/2020

1. धर्मपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति नायक साकिन नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।

-:बनाम:-

1. सोहनलाल पुत्र शिवलाल जाति जाट साकिन नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. देवाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवंशी साकिन नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता	-- प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र अधिवक्ता	-- अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा	-- अप्रार्थी संख्या 3

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 10/02/2022

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 7 बीएलडब्लयू के खाता सं. 52 के प.नं. 40/242 के किला नं. 4/.177, 5/.177, 6-7, 14 ता 17, 23/.025, 24, 25 की कुल 2.403 हैक. नहरी म.गै.मु. खाला मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र की गई है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 7 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 115 के प.नं. 40/242 के किला नं. 9 ता 12, 19, 20, 22 की 1.429 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है । अप्रार्थी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की गैर खातेदार कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 7 बीएलडब्लयू के खाता सं. 126 के प.नं. 40/242 के किला नं. 21 की 0.139 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र की गई है। चक 7 बीएलडब्लयू के प.नं. 40/242 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 [illegible] मुख्य मार्ग गुजरती है और प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को प.नं. 40/242 के किला [illegible] 21 मे 0.014 हैक. व किला नं. 22 मे 0.025 हैक. मे चल रहे घरेलू रास्ता से होकर [illegible] और इसी घरेलू रास्ता से ही अपनी कृषि भूमि मे कृषि औजार एवं [illegible] जाता है। मौका पर [illegible] रास्ता बिना किसी वाद विवाद के चल रहा है और प्र[illegible] को अपनी कृषि भूमि के [illegible] रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक एवं घरेलू रास्ता स्वीकृत नही है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 7 बीएलडब्लयू के प.नं. 40/242 के किला नं. 21/.014, 22/.025 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:26 IST
Reason: SelfAttested

लगातार.................2

10/02/2022
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रास्ता का उपयोग अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति एवं रजामन्दी से करता आ रहा है और प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता की भूमि के एवज मे प्रतिफल राशि भी अदा कर दी है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे प.नं. 40/242 के किला नं. 21/.014, 22/.025 कुल 0.039 हैक. गै.मु. रास्ता दर्ज नही है इसलिए प्रार्थी अब अप्रार्थीगण के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से चक 7 बीएलडब्लयू के प.नं. 40/242 के किला नं. 21/.014, 22/.025 कुल 0.039 हैक. गै.मु. रास्ता बैजानिब दक्षिणी दिशा स्वीकृत करवाना चाहता है जो कि स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे ।

तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2020/1199 दिनांक 09.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता मौका पर चालु है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालु नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 कई वर्षों से अनुपलब्ध होना बताया गया।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2020 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं 1 के प्रस्तुत जवाब अनुसार उसके द्वारा रास्ता की एवज में प्रतिफल राशि प्रापत कर ली है तथा रास्ता स्वीकृति हेतु सहमत है। वकील अप्रार्थी सं. 2 की तलबी बावत् अखबार साया सूचना प्रकाशन पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 2 हाजिर नहीं हुआ। अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रीडर/2020/1199 दिनांक 09.10.2020 व धारा 251 (क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 7 बीएलडब्लयू के प.नं. 40/242 के किला नं. 21/.014, 22/.025 कुल 0.039 हैक. गै. मु. रास्ता बैजानिब दक्षिणी दिशा स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की कि0न0 21/0.014 की 0.014 है0 भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा [illegible] अनुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर रास्ते की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 10/02/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:53:26 IST
Reason: SelfAttested

10/02/2022

(रणजीत कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा